हरियाणा सरकार
आयुर्वेद, योगा तथा प्राकृतिक,
यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी
(आयुष) विभाग
अधिसूचना

दिनांक , 2012

संख्या —भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा आयुर्वेद, योगा तथा प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) विभाग (ग्रुप क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

भाग—1 सामान्य

संक्षिप्त नाम। 1. ये नियम हरियाणा आयुर्वेद, योगा तथा प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 2012, कहे जा सकते हैं।

परिभाषाएँ। 2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ————

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;

(ख) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(ग) "संस्था" से अभिप्राय है, —

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; अथवा

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;

(घ़) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, ——

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविधालय ; अथवा

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया हो;, तथा

(ड़) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा आयुर्वेद, योगा तथा प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) विभाग (ग्रुप क) सेवा ।

भाग–II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में दर्शाए गए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो :––

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(ध) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ड़) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया तथा युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जीबिया, मलावी, जायरे और इंथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ड़) से संबंधित व्यक्ति ऐसा होगा, जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

5. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेगी ।

योग्यताएँ ।

6. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो :

अयोग्यताएँ।

7. कोई भी व्यक्ति, ––

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी है, तो वह किसी व्यकित को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग। **8.** (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,–

(क) निदेशक आयुर्वेद, योगा तथा प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धां तथा होम्योपैथी (आयुष) की दशा में,–

(i) उप निदेशक आयुर्वेद, योगा तथा प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) उप– निदेशक आयुर्वेद, योगा तथा प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धां तथा होम्योपैथी (आयुष) की दशा में,–

(i) सहायक निदेशक आयुर्वेद, योगा तथा प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्नतियॉ जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षा। **9** (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु ––

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप अथवा उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई

अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है , और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य अथवा आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह ––

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर सकता है; अथवा

(ii) उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,––

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है;

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो धोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो, –

(i) यदि वह पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उससे पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है अथवा उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार हो; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल है, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

10. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उसके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु जहॉ सेवा में विभिन्न संवर्ग हों वहॉ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग–अलग निर्धारित की जायेगी :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी, –

(क) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियें में से ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्त या स्थानान्तरित किए गए थे; और

(ग) विभिन्न संवर्गो से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निर्धारित की जायेगी , अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा, जो अपनी पहली नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व

11. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्ति भेजा जा सकता है,–

(i) कोई कंपनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नही, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है या हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कंपनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास है; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उनकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुटटी, पेंशन तथा अन्य मामलें।

12. (1) वेतन, छुटटी, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के संबंध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे जो संक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

(2) सेवा के सदस्यों को किसी भी रूप में प्राईवेट प्रैक्टिस अनुमत नहीं होगी।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

13. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि अथवा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट (ग) में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) अथवा (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना 14. सेवा का प्रत्येक सदस्य टीका लगवायेगा या जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करें, पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ। 15. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा–स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति। 16. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचिन हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारें में ऐसा कर सकती हैं।

विशेष उपबन्ध। 17. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि नियुक्ति के आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता हैं।

निरसन तथा व्यावृति। 18. हरियाणा आयुर्वेदिक विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998 इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क
(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	निदेशक आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष)	1	—	1	वेतन बैंड–4 रूपये 37400-67000 + ग्रेडवेतन रूपये. 8700+ व्यवसाय निषेध भत्ता
2	उप — निदेशक, आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष)	1	—	1	वेतन बैंड–3 रूपये 15600-39100 + ग्रेडवेतन रूपये 7600 + व्यवसाय निषेध भत्ता

परिशिष्ट ख
(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	**पदनाम**	**सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएँ तथा अनुभव, यदि कोई हो**
1	2	3
1	निदेशक आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष)	**पदोन्नति द्वारा –** उप निदेशक आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) के पद पर दो वर्ष का अनुभव; **स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा –** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या विधि द्वारा स्थापित या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त भारतीय औषध संकाय चिकित्सा बोर्ड से आयुर्वेद / योगा एवं प्राकृतिक / यूनानी / सिद्धा / होम्योपैथी (आयुष) औषध प्रणाली में उपाधि; (ii) उप निदेशक आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) के पद पर दो वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान।
2	उप निदेशक आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष)	**पदोन्नति द्वारा –** सहायक निदेशक आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) के पद पर दो वर्ष का अनुभव; **स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा –** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या विधि द्वारा स्थापित या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त भारतीय औषध संकाय चिकित्सा बोर्ड से आयुर्वेद / योगा एवं प्राकृतिक / यूनानी / सिद्धा / होम्योपैथी (आयुष) औषध प्रणाली में उपाधि; (ii) सहायक निदेशक आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) के पद पर दो वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 13 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त अधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1 2	निदेशक आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) उप–निदेशक, आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष)	सरकार	**छोटी शास्तियाँ :** (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी; (ii) परिनिन्दा; (iii) पदोन्नति रोकना; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को, या ऐसी कम्पनी तथा संगम अथवा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास हो। संसद या राज्य विधान–मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविधालय को हुई धन संबंधी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियाँ रोकना **बड़ी शास्तियाँ :** संचयी प्रभाव सहित वेतन	सरकार	-

			(vi)	वृद्धियाँ रोकना;		
			vii)	किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियॉ अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नही;		
			(viii)	निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद अथवा सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय के वेतनमान, ग्रेड, पद अथवा सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः ऐसी रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद अथवा सेवा पर वेतन के बारे में शर्तो संबंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगा;		
			(ix)	अनिवार्य सेवा निवृति;		
			(x)	सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी; तथा		
			(xi)	सेवा से पदच्युति, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यत निरर्हता होगी।		

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 13 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त अधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1 2	निदेशक आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) उप–निदेशक, आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष)	सरकार	**छोटी शास्तियाँ :–** (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी; (ii) परिनिन्दा; (iii) पदोन्नति रोकना; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को, या ऐसी कम्पनी तथा संगम अथवा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास हो। संसद या राज्य विधान–मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविधालय को हुई धन संबंधी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियाँ रोकना **बड़ी शास्तियाँ :** (vi) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियाँ रोकना; (vii) किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या	सरकार	–

			सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियॉ अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नही; (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद अथवा सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय के वेतनमान, ग्रेड, पद अथवा सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः ऐसी रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद अथवा सेवा पर वेतन के बारे में शर्तो संबंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगा; (ix) अनिवार्य सेवा निवृति; (x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी; तथा (xi) सेवा से पदच्युति, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यत निरर्हता होगी।		

परिशिष्ट घ
[देखिए नियम 13 (2)]

क्र0 सं0	पदनाम	आदेश का स्वरूप		आदेश करने के लिए सक्षम अधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3		4	5
1	निदेशक आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष)	(i)	पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	सरकार	–
2	उप – निदेशक आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष)	(ii)	सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।		

(नवराज संधु)
प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार, आयुर्वेद, योगा
तथा प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा तथा
होम्योपैथी (आयुष)विभाग।